संo-3328(1)/89-व्याoशिoकौoविoविo-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उoप्रoइलाहाबाद।

2-संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक प्रशिo एवं सेवायोजन)।

3-वित्त ई-3/11 /नियोजन-4

4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- सम्बंधित प्रधानाचार्य,राoऔoप्रoसंस्थान(द्वारा निदेशक प्रशिoएवं सेवायोजन)

6-निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय 125 जवाहर भवन लखनऊ।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
अनुसचिव।

संख्या : [illegible] सं0 भा0/36-6-98-43(बी)/95

[illegible]
[illegible]
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक
[illegible] एवं सेवायोजन
उ0प्र0 लखनऊ ।

[illegible] अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 04 मार्च 1998

विषय:- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के 14 स्थानों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक 424/3/टि-4-एससीपी/टीएसपी/97-97, दिनांक 28-4-97 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के 14 स्थानों क्रमशः [illegible] [illegible] (गाजियाबाद), आनन्दपुर/बारहो (जिला फिरोजाबाद), [illegible] (मुरादाबाद), [illegible] (बिजनौर), [illegible] (इलाहाबाद), [illegible] (फर्रुखाबाद), [illegible] (सीतापुर), [illegible] (हरदोई), [illegible], हरैया (बस्ती), [illegible] (आजमगढ़), सैदपुर (गाजीपुर), तथा [illegible] (गोण्डा) एवं [illegible] में से प्रत्येक में एक-एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने तथा प्रत्येक संस्थान में इलेक्ट्रीशियन (16 सीटें), [illegible] (16 सीटें), रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग (16 सीटें), कम्प्यूटर (20 सीटें), [illegible] (16 सीटें), टेलर (16 सीटें), [illegible] हिन्दी (16 सीटें), कटिंग टेलरिंग-[illegible] (16 सीटें), [illegible] एण्ड हेयर ड्रेसिंग (16 सीटें) तथा [illegible] (16 सीटें) व्यवसायों को खोलने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु रू0 3,00,00,000/- [illegible] अनावर्तक रू0 [illegible] तथा आवर्तक रू0 [illegible] [illegible] निम्न विवरण के अनुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

...2

संख्या-3328/89-व्या0शि0कौ0वि0वि0-2014-23(एम)/2013

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग लखनऊः दिनांक 9 अक्टूबर,2014

विषयः-स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में स्थापित 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 14 व्यवसायों में से 03 व्यवसायों में द्वितीय एकक एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-1084/तीन/वि-4/अल्प.सं./द्वितीय यूनिट/2012, दिनांक 30.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में स्थापित 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान संचालित 14 व्यवसायों में से 03 व्यवसायों क्रमशः **नेटवर्क टेक्नीशियन, मैकेनिक,कम्यूनिकेशन इक्यूपमेंट मेंटीनेन्स** एवं **कम्प्यूटर एडेड इम्ब्राईडरी एण्ड निडिल वर्क** में, अगस्त, 2015 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण सत्र से, एक-एक अतिरिक्त एकक का सृजन करते हुए उसे संचालित किये जाने हेतु संलग्नक के अनुसार कुल 21 व्यवसाय अनुदेशक के अस्थायी पदों को दिनांक 28.2.2015 तक इस शर्त के साथ सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त अस्थायी पदों को बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

(1) सृजित किये जा रहे पदों में से 33 प्रतिशत पद आउट सोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से ही भरे जायेंगे। नये सृजित होने वाले पदों पर भर्ती न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से की जायेगी।

(2) उक्त पदों की निरंतरता शासन की सहमति से समय-समय पर आवश्यकतानुसार जारी करायी जायेगी।

(3) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-2230-श्रम तथा रोजगार-03-प्रशिक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1160(4)/दस-2014, दिनांक 30 सितम्बर,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

2/-